न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 15/2014

1. अनिल कुमार पुत्र श्री बाबुलाल पामेचा उम्र 36 वर्ष जाति जैन निवासी शीतला माता की गली, बिजयनगर जिला अजमेर (राज0) —— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गुलाबदेवी पत्नि श्री सांवरलाल जाट
2. श्री घीसा
3. श्री रतनलाल
4. श्री कैलाशचन्द — पिसरान श्री जोगा समस्त जाति जाट
5. गीता
6. प्रेम
7. श्रीमति बदामी पत्नि श्री जोगा जाति जाट
8. श्री मिश्रीलाल
9. श्री रामचन्द्र — पिसरान श्री जेठू समस्त जाति ब्राहमण
10. श्री रामलाल
11. श्री देवी पुत्र श्री मांगू जाति माली
12. श्री मगना
13. श्री छोगा — पिसरान श्री भोजा जाति गुर्जर
14. श्री हेमा
15. श्री पुखराज — पिसरान श्री काना जाति जाट
16. श्री जीवराज
17. कमला — पिसरान श्री हजारी जाति जाट
18. श्री शम्भू
19. श्री रामकरण

निवासियान ग्राम बाड़ी पटवार बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)

20 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील कार्यालय बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)

21 पटवारी, पटवार हल्का बाड़ी तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– आदेश :– दिनांक 26.08.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 376 रकबा 04–04–10 बीघा भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है। जिसकी सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 19 एवं प्रार्थी के मध्य विवाद होता रहता है । अतः प्रार्थीगण प्रश्नगत अराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करने के अप्रार्थी सं0 20 पर आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थीगण अपने अभिभाषक महोदय के साथ उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बाडी की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता सं0 11 में प्रश्नगत अराजी खसरा सं0 376 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार बिजयनगर पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदायगी पर प्रश्नगत अराजी का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार बिजयनगर को प्रकरण में रु. 1500/– पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम बडा आसन स्थित अराजी खसरा न0 376 की पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 15:19:30 IST
Reason: SelfAttested